न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–23 / 09–10

राधा मोहन सिंह बनाम ननकु साव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
24.11.22	आवेदक राधा मोहन सिंह, पिता–गोपल शरण सिंह, ग्राम–घंघरी, थाना–व0नगर अंचल–हंटरगंज, जिला–चतरा द्वारा विपक्षी ननकु साव, पिता–स्व0 रामखेलवान साव के पक्ष में खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–585, रकवा–1.33 एकड़ एवं खाता संख्या–99, रकवा–72 डी0 भूमि का कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु विविध वाद से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**"आवेदक एवं उनके दो भाई बालमुकुन्द सिंह एवं दुर्गा शंकर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मौजा–घंघरी, थाना नं0–142, अंचल–हंटरगंज खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–15.89 एकड़ भूमि मौजा–घंघरी के अन्य प्लॉट सहित सेल डीड संख्या–1379 दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से क्रय की गई है। यह है कि खरीदगी भूमि एवं अन्य भूमि सहित कुल रकवा–28.22 एकड़ भूमि का घंघरी कैम्प कोर्ट में दिनांक–24.01.1978 को उक्त सेल डीड के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृति दी गई। यह है कि आवेदक एवं बालमुकुन्द सिंह तथा दुर्गा शंकर सिंह सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त किए। परंतु उसी समय मालती	

देवी, पति–लक्ष्मी सिंह के द्वारा दिनांक–04.01.1978 को स्वीकृत दाखिल खारिज के विरूद्ध मानानीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा आवेदक एवं उनके भाईयों के नाम से स्वीकृत दाखिल खारिज पर पुनः विचार हेतु अंचल अधिकारी, हंटरगंज हेतु अपील वाद वापस किया गया। उसके बाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सख्या–75/1977–78 में दिनांक–30.06.79 को आदेश पारित करते हुए आवेदक का जमाबंदी को स्थगित किया गया। इसी बीच विपक्षी के पिता–रामखेलावन साव द्वारा मौजा–घंघरी के जमाबंदी पंजी का पृष्ठ संख्या–196, भौलुम संख्या–01 पर खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–72 डी0 भूमि का फर्जी केवाला के आधार पर जमाबंदी दर्ज करवाया गया, जिसके बारे में आवेदक को पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह है कि दाखिल खारिज अपील वाद 75/77–78 का अपीलार्थी मालती देवी द्वारा बंटवारा सुट नम्बर 26/96 आवेदक के विरूद्ध दाखिल किया गया जो दस साल तक प्रकियाधीन होने के बाद अंतिम रूप से दिनांक–12.07.06 को खारिज हुआ। आवेदक द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को उक्त बंटवारा सुट खारिज होने की सूचना देते हुए प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी पुनः प्रारम्भ करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। इस न्यायालय द्वारा विविध अपील वाद 35/92–93 –07/07–08 दिनांक–26.12.2008 के रूप में सुना गया एवं आदेश दिनांक–05.08.2009 के माध्यम से आवेदक एवं उनके भाईयों के नाम से कुल रकवा–28.02 एकड़ भूमि के $\frac{1}{3}$ भाग का जमाबंदी पुनः कायम किया गया। आवेदक द्वारा शेष $\frac{2}{3}$ भाग भूमि के लिए अपर समाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में मधुर देवी एवं मालती देवी के पक्ष में शेष $\frac{2}{3}$ भाग भूमि के लिए पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। चुंकि विक्रेता

महरानी देवी का जमाबंदी 27.11 एकड़ भूमि का कायम था। इसलिए आवेदक द्वारा 27.11 एकड़ भूमि के $\frac{1}{3}$ भाग का जमाबंदी पुनः कायम करने हेतु हल्का कर्मचारी से सर्म्पक किया गया। हल्का कर्मचारी द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक–05.08.09 दिखाया गया कि मौजा–घंघरी, खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588 रकवा–72 डी0 का जमाबंदी विपक्षी के पिता–रामखेलवान साव के नाम से कायम है हल्का कर्मचारी द्वारा यह भी सूचित किया गया कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–585, कुल रकवा–1.33 एकड़ भूमि का जमाबंदी भी रामखेलावन साव के नाम से कायम है। यह भी आवेदक के बड़े भाई स्व0 नगेन्द्र नारायण सिंह के नाम से बंदोबस्त भूमि है। उनके द्वारा रामखेलावन साव को भूमि बिक्री नहीं किया गया है इस प्रकार प्लॉट संख्या–585 में भी विपक्षी का कायम जमाबंदी अवैध है। आवेदक द्वारा द्वितीय पक्ष के पक्षकार को कभी भी कोई सेल डीड निर्गत नहीं किया गया है। यह है कि ना ही रूपकली देवी उर्फ राजकुमारी देवी एवं बालमुकुन्द सिंह प्लॉट संख्या–585 अथवा 588 की भूमि को नहीं बेच सकते है। क्योकि यह संयुक्त परिवार का सम्पति है।आवेदक राधा मोहन सिंह, पिता–गोपल शरण सिंह, ग्राम–घंघरी, थाना–व0नगर अंचल–हंटरगंज, जिला–चतरा द्वारा विपक्षी ननकु साव, पिता–स्व0 रामखेलवान साव के पक्ष में खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–585, रकवा–1. 33 एकड़ एवं खाता संख्या–99, रकवा–72 डी0 भूमि का कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। **प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"यह कि मुकदमा हाजा में प्राप्त अंचल अधिकारी, हण्टरगंज** के प्रतिवेदन दिनांक–15.03.12 में दर्शाया गया कि मुकदमा हाजा की भूमि का दाखिल क्रमशः दाखिल खारीज के नम्बर 153/74–75 से रामखेलावन साव, पिता–सखी साव, ग्राम–कटैया वो दाखिल खारीज केस नम्बर–714/85–86 से क्रेता बसंत प्र0 (साव) के नाम पर सरकारी रसीद

निर्गत हो रही है परन्तु उक्त प्रतिवेदन सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विक्रेता बालमुकुन्द सिंह का ही दाखिल खारीज कैम्प कोर्ट घंघरी में दिनांक–04.01.1978 को हुआ है तथा इसके पूर्व 1974–75 में क्रेता रामखेलावन साव के नाम पर दाखिल खारीज संभव नहीं है। इसी प्रकार क्रेता बसंत प्रसाद के नाम पर भी 1985–86 में दाखिल खारीज संभव नहीं है क्योंकि वाद संख्या–75/77–78 में उप समाहर्त्ता–भूमि सुधार चतरा द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.06.79 से बिक्रेता बालमुकुन्द सिंह वगै0 का जमाबंदी स्थगित है तथा अभी भी विविध रिवीजन संख्या–37/09 अपर समाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में लंबित है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–"यह है कि वर्तमान वाद प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी रामखेलावन साव एवं उनके पुत्र ननकु साव @ कृष्णा प्रसाद एवं अन्य के नाम से खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–585, रकवा–80 डी0 एवं खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–2.40 एकड़ भूमि का कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। यह है कि प्रथम पक्ष के भाई बालमुकुन्द सिंह गलत तरीके से दो सेल डीड, ग्राम–कटैया के रामखेलावन साव एवं बसंत प्रसाद तथा उनके पुत्रों के पक्ष में सेल डीड संख्या–9956, दिनांक–19.06.1973 एवं सेल डीड संख्या–3619, दिनांक–21.03.1980 क्रमशः प्रथम पक्ष जो सह–हिस्सेदार है, बिना सहमति प्रश्नगत भूमि एवं ग्राम–घंघरी के अन्य भूमि को सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया है। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.69 के माध्यम से महरानी देवी, पति–गोबर्धन प्रसाद सिंह से भूमि क्रय किये है, जिसमें प्रथम पक्ष के भाई बालमुकुन्द सिंह एवं दुर्गा शंकर सिंह भी क्रेता थे। यह है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खरीदगी की भूमि है,

जिसका अभी खरीदारों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। यह है कि हिन्दु लॉ के तहत् संयुक्त परिवार की सम्पति से बिना सह–हिस्सेदारों की सहमति से अलग नहीं कर सकते हैं। यह भी है कि द्वितीय पक्ष के पिता–रामखेलावन साव के नाम से दाखिल खारीज, फर्जी दाखिल खारीज वाद संख्या–153/74–75 का, पृष्ठ संख्या–196/1 पर तथा दाखिल खारीज वाद संख्या–713/85–86 द्वितीय पक्ष एवं उनके भाई बसंत प्रसाद, गंगा प्रसाद, सुदामा प्रसाद, जोगी प्रसाद के नाम से दाखिल खारिज पृष्ठ संख्या–312/1 पर स्वीकृति बिना प्रथम पक्ष को जानकारी के ही किया गया है। यह है कि दोनों दाखिल खारिज वाद पर्जी है, इसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा सूचना अधिकार के तहत् प्रदान की गई सूचना से होता है। यह है कि अंचल कार्यालय, हण्टरगंज के सहायक सुखराम कश्यप एवं अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रथम पक्ष को सूचना पत्रांक–420, दिनांक–07.09.2012 द्वारा दिया गया है कि वर्ष 85–86 में अंतिम दाखिल खारिज वाद संख्या–713/85–86 पंजी–27 में दर्ज है, इस तरह से दाखिल खारिज वाद संख्या–714/85–86 का आस्तित्व का काई महत्व नहीं है। अंचल कार्यालय, हण्टरगंज के द्वारा सूचित किया गया है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–153/74–75 से संबंधित पंजी–27 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष 1986 में दाखिल खारिज वाद 01 से 09 तक का सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया था। अंचल कार्यालय द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छिपाने हेतु कहा गया है कि पंजी–27 उपलब्ध नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित किया गया है कि यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाय कि वर्ष 1974–75 का पंजी–27 उपलब्ध नहीं है परन्तु यह कैसे मान लिया जाय कि दाखिल खारिज वाद संख्या–153/74–75 के क्रेता रामखेलावन साव के बिक्रेता बालमुकुन्द सिंह का ही दाखिल खारिज वाद दिनांक–04.01.1978 को स्वीकृत हुआ है तो नया

खरीदार रामखेलावन साव का म्यूटेशन पांच साल पहले ही कैसे हो गया है। इस तरह से दाखिल खारिज वाद संख्या–153/74–75 फर्जी है तथा दाखिल खारिज वाद संख्या–714/85–86 के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् पत्रांक–420, दिनांक–07.09.2012 के माध्यम से प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि वाद संख्या–714/85–86 जो कर्मचारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है, वो फर्जी है। इस तरह से बाल मुकुन्द सिंह के द्वारा संयुक्त सम्पति का हस्तांतरण हेतु निर्गत निबंधित सेल डीड गलत है। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के भाई सहित दखल कब्जा है कभी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–153/74–75 एवं 714/85–86 के आधार पर कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–" भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में राधामोहन सिंह के द्वारा दायर आवेदन दिनांक–08.09.2009 के आधार संधारित विविध 23/09–10 पोषणीय नहीं है तथा अस्वीकृत करने के योग्य है। यह है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय अपीलीय न्यायालय है, इसलिए भवदीय न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि दाखिल खारिज रद्द किये जाने से संबंधित आवेदन के आधार पर विविध वाद प्रारंभ किया जाय। यह है कि श्रीमती महारानी देवी, पति–गोवर्धन सिंह को पैसे की आवश्यकता हुई तो भूमि का रकवा–22–22 एकड़ भूमि बिक्री किया गया। यह है कि विवादित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि भी बालमुकुन्द सिंह, राधामोहन सिंह एवं दुर्गाशंकर सिंह को निबंधित सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से बिक्री किया गया। खरीदार दखल कब्जा में आये, जमाबंदी कायम हुआ तथा लगान रसीद निर्गत हुआ। यह है कि बालमुकुन्द सिंह, राधामोहन सिंह एवं दुर्गाशंकर सिंह आपस में आपसी सहमती से भूमि का बंटवारा कर

लिये तथा बंटवारा के अनुसार कई प्रकार के फसल उगाकर उपभोग में लाये है। यह है कि बालमुकुन्द सिंह को पैसे आवश्यकता हुई तो सेल डीड संख्या–9956, दिनांक–19.06.1973 के माध्यम से मौजा–घंघरी, खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588 का 9.89 एकड़ भूमि मे से 1.24 एकड़ भूमि रामखेलावन साव, पिता–सखी साव को बिक्री किया गया है। यह है कि बालमुकुन्द सिंह पुनः खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–2.40 एकड़ भूमि बिक्री किया गया। खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–585, रकवा–0.80 एकड़ भूमि बसंत प्रसाद, गना प्रसाद, सुदामा प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, जोगी प्रसाद को भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–3619, दिनांक–27.03.1980 द्वारा बिक्री किया गया। यहॉ उल्लेखित करना आवश्यक है कि खाता संख्या–01 के स्थान पर गलती प्लॉट संख्या–585, रकवा–0.80 के संदर्भ में 99 अंकित हो गया है। यह है कि अपने हिस्सा के अनुसार बालमुकुन्द सिंह को जमीन बिक्री करने का पुरा अधिकार है। यह है कि खरीदार रामखेलावन सिंह, बसंत प्रसाद, गंगा प्रसाद, सुदामा प्रसाद एवं जोगी प्रसाद अपने अपने खरीदगी भूमि पर जमाबंदी कायम करवा कर, रसीद निर्गत होने के साथ–साथ दखल कब्जा में भी है। यह है कि रामखेलावन साव के द्वारा भी खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.40 एकड़ भूमि पार्वती देवी को निबंधित सेल डीड संख्या–1822, दिनांक–04.05. 2003 के माध्यम से बिक्री किया गया है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–6094, दिनांक–02.08.2010 के माध्यम से कृष्णा कुमार गुप्ता के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.4 एकड़ भूमि ललीता देवी, पति–बिनोद ठाकुर को बिक्री किया गया है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–6092, दिनांक–02.08.2010 के माध्यम से कृष्णा कुमार गुप्ता के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.3 एकड़ भूमि आशा देवी, पति–अशोक ठाकुर को बिक्री किया गया

है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–4295, दिनांक–01.07.08 के माध्यम से आशा देवी, पति–स्व0 बसंत सिंह के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588 / 585, रकवा–03.20 एकड़ में से रकवा–0.10 एकड़ भूमि राम कुमार दांगी, शिवकुमार दांगी, पिता–रामेशर दांगी एवं मनोज दांगी, पिता–कृष्णा दांगी को बिक्री किया गया है। इस तरह अन्य रैयतों के द्वारा भी खरीद बिक्री की गई है। यह है कि आवेदक राधामोहन सिंह के द्वारा सेल डीड को रद्द करने हेतु सिविल कोर्ट समय सीमा के अंदर कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यह है कि राधामोहन सिंह को बालमुकुन्द सिंह के द्वारा निर्गत किये गये सेल डीड पर आपति दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–"आवेदक राधा मोहन सिंह ग्राम–घंघरी थाना नं0–142, थाना–ब0न0 जोरी के अंदर प्रथम केवाला 9956 दिनांक–19.06.1973 के द्वारा विक्रेता बालमुकुन्द सिंह पिता–गोपाल शरण सिंह साकिन–घंघरी के द्वारा खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588 रकवा–1.24 डी0 भूमि क्रेता राम खेलावन साव, पिता–सरकी साव, ग्राम–कटैया के नाम से खरीद किये है। जिसका सरकारी रसीद पंजी–2 के पृ0संख्या 196 / 1 पर क्रेता के नाम से दाखिल खारिज केश संख्या–153 / 74–75 के द्वारा निर्गत होते आ रहा है। दूसरा केवाला संख्या–3619 दिनांक–21.03.1980 के द्वारा विक्रेता बालमुकुन्द सिंह, पिता–स्व0 गोपल शरण सिंह, ग्राम–घंघरी के द्वारा खाता संख्या–99, प्लॉट सख्या–588, रकवा–2.40 डी0 वो प्लॉट संख्या–585 रकवा–0.80 कुल रकवा–3.20 ए0 भूमि क्रेता बंशत प्रसाद वो गंगा प्रसाद के सुदामा प्रसाद वो कृष्णा प्रसाद वो जोगी प्रसाद सभी के पिता–खेलावन प्रसाद साकिन–कटैया थाना–व0न0 जोरी के नाम से खरीद किये गये ही जिसका सरकारी रसीद पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–312 / 1 पर दाखिल खारिज केश

सख्या–714/85–86 के आदेशानुसार सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। जॉच के क्रम में केवाला संख्या–3619 दिनांक–21.03.1980 में विक्रेता द्वारा जो भूमि बिक्री किया गया है इसमें खाता सख्या–99 का ही प्लॉट संख्या–585 रकवा–0.80 वो प्लॉट संख्या–588 रकवा–2.40 डी0 भूमि 3.20 डी0 भूमि केवाला में अंकित किये है जो विक्रेता के द्वारा का खाता संख्या–99 पर लिखा गया है............प्लॉट संख्या–585 का सही खाता संख्या–01 है इस क्रम में खाता सख्या–99 दर्ज होने के वजह से 99 खाता के जमाबंदी से जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–120 से रकवा–केवाला सम्पूर्ण रकवा–3.20 डी0 भूमि धटा दिया गया है तो खाता संख्या–01 जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–98/01 से घटाया जाता यह मुल विक्रेता के द्वारा होने के कारण ऐसा हुआ कि खाता संख्या–16 जगह 99 खाता सख्या–99 के जमाबंदी के कुल रकवा–3.20 ए0 भूमि घटा दिया गया है। क्रेता के नाम केवाला के अनुसार सम्पूर्ण भूमि कुल रकवा–3.20 ए0 का सरकारी रसीद लगातार निर्गत होते आ रहा है तथा भूमि पर केवाला करवाया भूमि पर दखल काबिज शांतिपूर्ण ढंग से बरकरार रहे। आवेदक राधामोहन सिंह के द्वारा जो आरोप अपने आवेदन मे लगावे है वह बेबुनीयाद निराधार है। **अंचल अधिकारी, हंटरगंज का पत्रांक–77 दिनांक–25.02.2014** के माध्यम से सूचित किया गया है कि मांगे गए एल0सी0आर0 दाखिल खारिज केश संख्या–714/85–86 दाखिल खारिज पंजी–27 वर्ष 85–86 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी में 713/85–86 तक ही अंकित है तथा पंजी 27 में 714/85–86 का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. उभय पक्षों के द्वारा केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा।

2. प्रथम पक्ष के भाई के द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि केवाला के माध्यम से हस्तान्तरण किये जाने का मामला।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा भी अन्य रैयतों केवाला से भूमि हरतांतरण किये जाने का मामला।

1) **उभय पक्षों के द्वारा केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**''आवेदक एवं उनके दो भाई बालमुकुन्द सिंह एवं दुर्गा शंकर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मौजा–घंघरी, थाना नं0–142, अंचल–हंटरगंज खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–15.89 एकड़ भूमि मौजा–घंघरी के अन्य प्लॉट सहित सेल डीड संख्या–1379 दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से क्रय की गई है। यह है कि खरीदगी भूमि एवं अन्य भूमि सहित कुल रकवा–28.22 एकड़ भूमि का घंघरी कैम्प कोर्ट में दिनांक–24.01.1978 को उक्त सेल डीड के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृति दी गई। यह है कि आवेदक एवं बालमुकुन्द सिंह तथा दुर्गा शंकर सिंह सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त किए।'' **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि–**''यह है कि श्रीमती महारानी देवी, पति–गोवर्धन सिंह को पैसे की आवश्यकता हुई तो भूमि का रकवा–22–22 एकड़ भूमि बिक्री किया गया। यह है कि विवादित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि भी बालमुकुन्द सिंह, राधामोहन सिंह एवं दुर्गाशंकर सिंह को निबंधित सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से बिक्री किया गया। खरीदार दखल कब्जा में आये, जमाबंदी कायम हुआ तथा लगान रसीद निर्गत हुआ। यह है कि बालमुकुन्द सिंह, राधामोहन सिंह एवं दुर्गाशंकर सिंह आपस में आपसी सहमती से भूमि का बंटवारा कर लिये तथा बंटवारा के अनुसार कई प्रकार के फसल उगाकर उपभोग में लाये है। यह है कि बालमुकुन्द सिंह को पैसे आवश्यकता हुई तो सेल डीड संख्या–9956, दिनांक–19.06.1973 के माध्यम से मौजा–घंघरी, खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588 का 9.89 एकड़ भूमि मे

से 1.24 एकड़ भूमि रामखेलावन साव, पिता–सखी साव को बिक्री किया गया है। यह है कि बालमुकुन्द सिंह पुनः खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–2.40 एकड़ भूमि बिक्री किया गया। खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–585, रकवा–0.80 एकड़ भूमि बसंत प्रसाद, गना प्रसाद, सुदामा प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, जोगी प्रसाद को भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–3619, दिनांक–27.03.1980 क्षीर बिक्री किया गया। यहाँ उल्लेखित करना आवश्यक है कि खाता संख्या–01 के स्थान पर गलती प्लॉट संख्या–585, रकवा–0.80 के संदर्भ में 99 अंकित हो गया है। यह है कि अपने हिस्सा के अनुसार बालमुकुन्द सिंह को जमीन बिक्री करने का पुरा अधिकार है।''

2) **प्रथम पक्ष के भाई के द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि केवाला के माध्यम से हस्तान्तरण किये जाने का मामला :–** प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया गया है कि–'' यह है कि वर्तमान वाद प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी रामखेलावन साव एवं उनके पुत्र ननकु साव @ कृष्णा प्रसाद एवं अन्य के नाम से खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–585, रकवा–80 डी0 एवं खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–2.40 एकड़ भूमि का कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। यह है कि प्रथम पक्ष के भाई बालमुकुन्द सिंह गलत तरीके से दो सेल डीड, ग्राम–कटैया के रामखेलावन साव एवं बसंत प्रसाद तथा उनके पुत्रों के पक्ष में सेल डीड संख्या–9956, दिनांक–19.06.1973 एवं सेल डीड संख्या–3619, दिनांक–21.03.1980 क्रमशः प्रथम पक्ष जो सह–हिस्सेदार है, बिना सहमति प्रश्नगत भूमि एवं ग्राम–घंघरी के अन्य भूमि को सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.1969 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया है। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि सेल डीड संख्या–1379, दिनांक–24.04.69 के माध्यम से महरानी देवी, पति–गोबर्धन प्रसाद सिंह से भूमि क्रय किये है, जिसमें प्रथम

पक्ष के भाई बालमुकुन्द सिंह एवं दुर्गा शंकर सिंह भी क्रेता थे। यह है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खरीदगी की भूमि है, जिसका अभी खरीदारों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है।"

3) **द्वितीय पक्ष के द्वारा भी अन्य रैयतों केवाला से भूमि हस्तांतरण किये जाने का मामला :–** द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–यह है कि खरीदार रामखेलावन सिंह, बसंत प्रसाद, गंगा प्रसाद, सुदामा प्रसाद एवं जोगी प्रसाद अपने अपने खरीदगी भूमि पर जमाबंदी कायम करवा कर, रसीद निर्गत होने के साथ–साथ दखल कब्जा में भी है। यह है कि रामखेलावन साव के द्वारा भी खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.40 एकड़ भूमि पार्वती देवी को निबंधित सेल डीड संख्या–1822, दिनांक–04.05.2003 के माध्यम से बिक्री किया गया है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–6094, दिनांक–02.08.2010 के माध्यम से कृष्णा कुमार गुप्ता के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.4 एकड़ भूमि ललीता देवी, पति–बिनोद ठाकुर को बिक्री किया गया है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–6092, दिनांक–02.08.2010 के माध्यम से कृष्णा कुमार गुप्ता के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588, रकवा–1.24 एकड़ में से रकवा–0.3 एकड़ भूमि आशा देवी, पति–अशोक ठाकुर को बिक्री किया गया है। यह है कि निबंधित सेल डीड संख्या–4295, दिनांक–01.07.08 के माध्यम से आशा देवी, पति–स्व0 बसंत सिंह के द्वारा खाता–99, प्लॉट संख्या–588/585, रकवा–03.20 एकड़ में से रकवा–0.10 एकड़ भूमि राम कुमार दांगी, शिवकुमार दांगी, पिता–रामेशर दांगी एवं मनोज दांगी, पिता–कृष्णा दांगी को बिक्री किया गया है। इस तरह अन्य रैयतों के द्वारा भी खरीद बिक्री की गई है। यह है कि आवेदक राधामोहन सिंह के द्वारा सेल डीड को रद्द करने हेतु सिविल कोर्ट समय सीमा के अंदर कोई वाद दायर नहीं किया गया है।"

⟹ प्रश्नगत भूमि का प्रकार एवं किस्म के संबंध में उभय पक्षों तथा अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के जांच प्रतिवेदन में भी स्पष्ट नहीं किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अंचल अधिकारी, हण्टरगंज आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे [खतियान(भूमि का किस्म आदि), रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि] का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधिसम्मत् पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

24.11.22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24.11.22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.27 22:34:45 -07:00
Location: 2409:40e4:4:79c2:1d4a:4371:ae07:e693